शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 49 अंक-52 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 16-23 दिसम्बर 2024 मूल्य पांच रूपये

क्या कानून बनाकर अनुबंध कर्मचारियों के लाभ रोके जा सकते हैं?

- बारह मासी और स्थायी प्रकृत्ति की नौकरी अनुबंध के दायरे से बाहर
- अनुबंध की ऐसी नौकरी संविधान के अनुच्छेद चौदह और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के खिलाफ है।

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्ते अधिनियम पारित करके इसे 12 दिसम्बर 2003 से ही प्रभावी होने का प्रावधान किया है। सरकार के इस अधिनियम पारित करने से राज्य में कार्यरत हजारों कर्मचारीयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ हिमाचल प्रदेश ने इस अधिनियम के पारित होने का संज्ञान लेते हुये सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। संघ के अनुसार इस अधिनियम का 2003 के पश्चात लोकसभा सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किये कॉलेज प्रवक्ताओं पर पड़ेगा। संघ का कहना है कि कॉलेज प्रवक्ताओं ने 2003 से लम्बी लड़ाई लड़कर न्यायालय के माध्यम से न्याय प्राप्त किया है। इस न्याय को इस कानून के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो संघ ने सारे प्रभावितों को लामबंद करके आन्दोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी भी दी है।

स्मरणीय है कि हिमाचल सरकार ने अनुबंध के आधार पर नियुक्तियों की नीति 2003 में अपनायी थी। लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा पास करके आये अभ्यार्थियों को अनुबंध के आधार पर ही नौकरियां दी गयी। नियमित होने के लिये अनुबंध काल 8 वर्ष, 6 वर्ष, पांच वर्ष और तीन वर्ष तक लाया गया। हर सरकार ने अपने अनुसार अनुबंध काल में परिवर्तन किया। सुक्खू सरकार ने दिसम्बर 2023 में यह घोषित किया कि 2024-25 में दो वर्ष का अनुबंध काल पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित कर दिया जायेगा। ऐसे में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि सरकार को एक वर्ष में अपना फैसला क्यों बदलना पड़ा और वह भी अधिनियम के माध्यम से। केंद्र सरकार ने 2003 में ही न्यू पैन्शन स्कीम अधिसूचित की थी। इसके तहत 2004 में नौकरियों में लगे लोग न्यू पैन्शन के दायरे में आ गये और अपना अंशदान उसमें देने लगे। कांग्रेस ने विधानसभा जीतने के लिये ओल्ड पैन्शन स्कीम फिर से लागू करने की गारन्टी दे दी। सरकार बनने के बाद ओल्ड पैन्शन तो लागू कर दी गई लेकिन न्यू पैन्शन स्कीम के तहत प्रदेश के कर्मचारियों का जो अंशदान करीब नौ हजार करोड़ केंद्र के पास जमा हो चुका था वह इस सरकार को वापस नहीं मिला क्योंकि नियम नहीं था। इससे सरकार का सारा गणित बिगड़ गया।

दूसरी ओर देश भर में अनुबंध कर्मचारी अपनी सेवा शर्तो को लेकर अदालतों तक पहुंचे गये। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2024 में दिये एक फैसले में स्पष्ट कहा है कि बारह मासी स्थायी प्रकृत्ति वाली नौकरियों में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति देना संविधान के अनुच्छेद चौदह और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवहेलना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को पहली नियुक्ति की तिथि से ही वरियता और अन्य लाभों का पात्र करार दे दिया है।

हिमाचल उच्च न्यायालय में भी इस आश्य की याचिकाएं आ चुकी है। हिमाचल सरकार अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वित्तीय लाभ देने की स्थिति में नहीं है। अदालत में मामलों को लगवाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प सरकार के पास है नहीं। बल्कि नवम्बर में उच्च न्यायालय ने इन मामलों में अपनाई जा रही अनावश्यक देरी के लिये सरकार के प्रधान सचिव पर एक लाख का जुर्माना तक लगा दिया और निर्देश दिये कि यह जुर्माना प्रधान सचिव से वसूला जाये। अनुबंध कर्मचारियों के हजारों मामले सरकार के पास लम्बित है जिन्हें वित्तीय लाभ नियुक्ति की तिथि से दे पाना सरकार के लिये कठिन होगा। इस समय करीब चालीस हजार कर्मचारी अनुबंध के आधार पर अपनी सेवाएं सरकार को दे रहे हैं जिन्हें सिर्फ अदालत के फैसले के बाद नियमित करना होगा और वित्तीय लाभ देने पड़ेंगे। चर्चा है कि इससे बचने के लिये ही 2024 में यह अधिनियम लाकर इसे दिसम्बर 2003 से प्रभावी बनाने का रास्ता अपनाया गया है। अनुबंध के अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारी भी बारह मासी और स्थायी नौकरी की श्रेणी में आते हैं। यदि अनुबंध कर्मीयों के लिये संविधान का अनुच्छेद चौदह और नीति निर्देश सिद्धांत पिक्चर में आते हैं तो आउटसोर्स कर्मियों के लिये क्यों नहीं ? इसी के साथ यह सवाल अहम हो जाता है कि जब ऐसी नौकरियां संविधान की अवमानना है तो क्या कोई राज्य सरकार ऐसा कानून लाकर स्वयं संविधान की अवमानना की दोषी नहीं बन जाती है। यदि सुक्खू सरकार के इस कानून को अदालत में चुनौती दी गयी तो यह सारे सवाल उठेंगे यह तय है।

कांगड़ा के सांसद सुक्खू सरकार के नाम पर पूर्व भाजपा सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर गये

शिमला/शैल। वित्तीय वर्ष 2022-23 की कैग रिपोर्ट सदन में

आ गयी है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर गंभीर टिप्पणियां की गयी हौ कैग रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थान डाक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। यहां बसे 6 से 56 प्रतिशत तक चिकित्सक कम हैं। आईजीएमसी शिमला से लेकर जिला अस्पतालों में 15 से 69 प्रतिशत तक विशेषज्ञों की कमी है। चम्बा और सिरमौर जिलों में यह कमी 42 प्रतिशत से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार जिला व सिविल अस्पतालों में जहां 9 से 11 ओपीडी का प्रावधान है वहां पर 2 से 5 ओपीडी थी। लाखों रुपए के उपकरण खरीदने के बावजूद स्टाफ की कमी होने के कारण उनका लाभ रोगियों को नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जांचे गये 18 स्वास्थ्य संस्थानों में से सात संस्थान बिना लाइसैन्स एक्सरे सुविधा चला रहे थे। लाइसैन्स नवीनीकरण के बिना 25 चयनित संस्थानों में से 12 रक्त बैंक चला रहे थे। 575 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 98 ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उत्पादन पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति व एनओसी ही नहीं ली।

कैग के अनुसार अस्पतालों में बिस्तरों की स्वीकृत संख्या में 45.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन वास्तविक उपलब्धता में 20.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आईजीएमसी में ही पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध तो करवाये गये लेकिन कई वार्डो में एक बिस्तर पर दो से तीन रोगी पाये गये। प्रदेश के 12 जिला अस्पतालों

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने आईए.एंड.ए.एस. प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने गेयटी थियेटर भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण में कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने मूल्यों एवं कौशल के महत्व पर बल देते हुए कहा कि नैतिक मूल्य आधारित उनके कार्य सर्वोपरि हैं।

राज्यपाल ने कहा कि समर्पित, सक्षम एवं नैतिक कैडर तैयार करने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई थी जो राष्ट्र की चुनौतियों का समाधान करने तथा लोगों को उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध करवाने में सक्षम हों। इन 75 वर्षों में अकादमी ने न केवल ज्ञान एवं कौशल प्रदान किया है बल्कि ईमानदारी, निष्पक्षता एवं सेवा के प्रति समर्पण के मूल्यों का भी संचार किया है।

उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि सटीकता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने से वह लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूती प्रदान करेंगे और इससे प्रशासन की गुणवत्ता और वित्तीय प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।उन्होंने कहा कि आईए.एंड.एएस अधिकारियों के रूप में, वे सरकार में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और जो निष्पक्षता व ईमानदारी के मजबूत स्तम्भों पर आधारित है। जिस सत्यनिष्ठा से वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते है, उससे सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के साथ-साथ वह सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वित्तीय जटिलताओं से निपटने के लिए लेखा सिद्धांतों, लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और शासन संरचनाओं की गहरी समझ नितांत आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राज्यपाल ने उन्हें प्रौद्योगिकी, डिजिटल ऑडिटिंग टूल की जानकारी से अवगत रहने और भविष्योन्मुखी वित्तीय प्रणाली के लिए तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह वंचित और कमज़ोर लोगों की सेवा कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, जिससे संतोष की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि आपका संवैधानिक कर्तव्य सदैव पारस्परिक सहानुभूति से पूरिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में निहित मूल्यों को संजोकर रखना चाहिए और युवा अधिकारियों के रूप में उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वह संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को निरंतर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी के महानिदेशक मनीष कुमार ने राज्यपाल को सम्मानित किया। उप-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रेबेका मथाई ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

राज्यपाल ने राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अकादमी@75 वेबसाइट और विशेष कवर का भी अनावरण किया।

मुख्यमंत्री ने बागवानी गतिविधियों को सशक्त करने के लिए विविधिकरण पर बल दिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बागवानी विभाग द्वारा कार्याविन्त की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बागवानी गतिविधियों को सशक्त करने के लिए विविधिकरण पर ध्यान केन्द्रित करना नितांत आवश्यक है। उन्होंने बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर भंडारण व विपणन की व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर आधुनिक कोल्ड स्टोर विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। ऊना जिला में आलू की प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिकी सशक्त होगी और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए कि मण्डी मध्यस्थता के तहत किसानों-बागवानों को लाभान्वित करने के लिए डीबीटी को सशक्त करने पर विशेष अधिमान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब बागवानी के कायाकल्प के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये की समर्पित परियोजना तैयार करने पर विचार कर रही है। इसकी अवधि पांच वर्ष होगी। सरकार का प्रयास है कि उच्च घनत्व पौधरोपण को बढ़ावा देकर बागवानों की आय में बढ़ौतरी की जा सके। इससे प्रदेश में ग्रामीण आर्थिकी सशक्त होगी।

प्रदेश में वित्त वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान राज्य योजनाओं में अर्जित उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान बागवानी विकास योजना के तहत पावर टिल्लर और पावर स्प्रेयर पर 12.84 करोड़ खर्च किए गए जिससे 4244 बागवान लाभान्वित हुए हैं जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में इसके तहत अब तक 9 करोड़ रूपये व्यय कर 3156 बागवानों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में एंटी हेल नेट स्कीम में 14.45 करोड़ व्यय कर 1767 लोगों को फायदा हुआ जबकि अभी तक इसके तहत इस वित्त वर्ष के दौरान 10.3 करोड़ रूपये व्यय कर 1223 लोगों का लाभान्वित किया गया है। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना पर पिछले वित्त वर्ष के दौरान 11 करोड़ रुपये खर्च कर 750 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सचिव बागवानी अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजेश धर्माणी ने क्योटो प्रोटोकॉल की तर्ज पर प्रदेश को मुआवजा देने का आग्रह किया

शिमला/शैल। जीएसटी काउंसिल वस्तु एवं सेवा कर की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमण्डल ने बैठक में भाग लिया।

राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल को 'क्योटो प्रोटोकॉल' की तर्ज पर मुआवजा जारी किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत कम कार्बन उत्सर्जन वाले देश को अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों

के मुकाबले मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने प्रदेश के कम जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखने का आग्रह किया।

बैठक में जीएसटी मुआवजे के मामले को उठाते हुए राजेश धर्माणी ने हिमाचल जैसे राज्य को जीएसटी लागू होने के कारण हुए राजस्व घाटे की भरपाई के लिए समुचित व्यवस्था करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सीजीएसटी प्राधिकरण से हिमाचल प्रदेश के टोल धारकों को जारी किए गए 200 करोड़ रुपये के डिमांड नोटिस का मुद्दा भी उठाया।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जीएसटी विभाग को नोटिसों को रद्द करना चाहिए और इस मामले में और अधिक स्पष्टता लाने का आग्रह किया।राजेश धर्माणी ने स्वास्थ्य और टर्म इन्श्योरेंस पॉलिसी विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीएसटी में छूट की वकालत की। उन्होंने पब्लिक-टू प्राइवेट साझेदारी और वित्तपोषण से जुड़े अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर आरम्भिक 10 से 15 वर्षों के लिए जीएसटी पर छूट देने का आग्रह किया।

इससे पहले शुक्रवार को जैसलमेर में आयोजित पूर्व बजट बैठक में धर्माणी में राज्य में आपदा प्रतिरोधक अधोसंरचना के निर्माण के लिए 'अडेप्टेशन फंड' अनुकूलन निधि स्थापित करने की मांग की।

उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और भानुपल्ली-बिलासपुर और चंडीगढ़ बद्दी जैसी रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में कम से कम 50 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त उद्यम के बजाए इन महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटा हुआ है, इसके दृष्टिगत इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय हिस्से का भुगतान करने में केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह छूट दी जानी चाहिए।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विशेष केंद्रीय सहायता को जारी रखने और आरडीजी ग्रांट तथा सीआरआईएफ में वृद्धि करने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 की 11,140 करोड़ रुपये की तुलना में ग्रांट को घटाकर वर्ष 2025-2026 में 3256 करोड़ रुपये किया गया है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रज्जू मार्गों को सम्मिलित करने और पीएमजीएसवाई के तहत किए गए कार्यों के लिए 10 प्रतिशत स्टेट शेयर तथा पांच वर्षों के लिए रखरखाव लागत उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने जियोमैट्रिक इंजीनियरिंग, जियोसांइसिज़, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, आपदा आधारित तथा न्यू ऐज तकनीक आधारित पाठयक्रमों एवं तकनीकी, वोकेशनल एजूकेशन और अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए प्रदेश में बहुउद्देशीय संस्थानों सहित स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने पर बल दिया।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने वन-संरक्षण अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत प्रदेश में नए सेटेलाइट टाऊन स्थापित करने की भी पुरज़ोर वकालत की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट सुविधा और प्राकृतिक खेती तथा दुग्ध प्रसंस्करण के लिए धन उपलब्ध करवाने और एग्रो पार्क स्थापित करने पर भी विशेष बल दिया।

उन्होंने सेब उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री को सेब के आयात पर सीमा शुल्क को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का आग्रह किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रदेश की मांगों पर विचार करने और उचित समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस और अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी राकेश शर्मा प्रदेश के प्रतिनिधिमण्डल में शामिल थे।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया मेरिट के आधार पर पूर्णः मुख्यमंत्री

वन क्षेत्रों में 60 प्रतिशत फलदार और औषधीय पौधे लगाने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया मेरिट के आधार पर पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इन वन मित्रों की नियुक्ति से विभाग की कार्यकुशलता सुदृढ़ होगी तथा वन क्षेत्रों में पेड़ों के अवैध कटान पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

वन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन विभाग को सुदृढ़ बना रही है, ताकि बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त पदों को भरा जा रहा है, जिससे वन संपदा की सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 200 सहायक वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयासों के लिए वन विभाग को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि 2021 की तुलना में 2023 तक राज्य का वन क्षेत्र लगभग 55 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार वनों को आग से बचाने के लिए भी गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान स्थानीय समुदाय के 18000 लोगों को त्वरित अग्निशमन बल में पंजीकृत किया गया, जिससे उनकी कुल संख्या अब 68000 हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में वन अग्नि संवेदनशील महीनों के दौरान कुल 1496 अग्नि निगरानीकर्ताओं को भी लगाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के साधन के रूप में, इकोटूरिज्म गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को राज्य के मनमोहक परिदृश्यों से परिपूर्ण वनों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए इकोटूरिज्म स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार के पिछले दो वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्राप्त एफसीए स्वीकृतियों पर संतोष व्यक्त किया और इस संबंध में निरंतर प्रयास करने पर बल दिया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को बंजर पहाड़ियों पर पौधारोपण गतिविधियों में तेजी लाने और स्थानीय महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधारोपण और पौधों के संरक्षण में शामिल करने के लिए भी कहा। उन्होंने वन क्षेत्रों में 60 प्रतिशत फलदार और औषधीय पौधे लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उद्योगों का उत्पीड़न बर्दाशत नहीं किया जाएगा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य के इंडस्ट्रीलिस्ट एसोसिएशन के एक

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें विभिन्न मांगों से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है और उद्योग हितैषी वातावरण स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को दी जाने वाली किसी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न से सख्ती से निपटा जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने उद्यमियों से प्रदेश में सूचना प्रोद्यौगिकी क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और जल विद्युत ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती है और हरित पहल ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज्य सरकार ने इस संबंध में अनेक पहल की हैं और राज्य में ई-वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सोलन जिला के नालागढ़ में एक मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित कर रही है। राज्य सरकार उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए बेहतर सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए बुनियादी अधोसंरचना का विस्तार कर रही है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और इंडस्ट्रीलिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विद्युत बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की समीक्षा

बैठक की अध्यक्षता की तथा विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सशक्त करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्युत बोर्ड में लाइनमैन और टी-मेट की भर्तियां की जाएंगी ताकि फील्ड स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि समुचित फील्ड स्टाफ की तैनाती से विद्युत आपूर्ति सेवा में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने अधिकारियों को स्टाफ का युक्तिकरण करने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड का 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कॉरप्स फंड भी प्रदान करेगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथम जनवरी, 2025 से प्रदेश सरकार के ग्रेड-1 व ग्रेड-2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विद्युत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जा रही है। सरकार ने अभी हाल ही में उद्योग एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में विद्युत दरों में युक्तिकरण किया है, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने तथा राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर तथा विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नई परियोजनाएं बनाने और इन्हें प्राथमिकता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा जनजातीय एवं महिला कल्याण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और कृषि संबंधी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने लोगों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे इन परियोजनाओं की लागत वृद्धि से बचा जा सकता है और इससे प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी। प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को घरद्वार के निकट सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है और अधिकारियों को लक्षित समुदायों के कल्याण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्रदेश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए अनेक अभिनव योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने विभागों को राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा ताकि संवेदनशील वर्गों के लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव सी.पालरासू, राकेश कंवर, आशीष सिंघमार, राजेश शर्मा, राखिल काहलों, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा बैठक में उपस्थित रहे जबकि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सचिव अभिषेक जैन वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

5 जनवरी 2025 तक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहेंगे

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में नववर्ष के उत्सव और पर्यटकों के भारी तादाद में आगमन के दृष्टिगत सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 23 दिसम्बर, 2024 से 5 जनवरी, 2025 तक 24 घंटे खुले रखने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 के तहत जनहित में लिया गया है।

इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

सरकार के प्रयासों से वंचित वर्गों के जीवन स्तर में हुआ सुधार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और उनके सम्मानजनक जीवन के लिए कई कल्याणकारी पहल की हैं। इस कड़ी में राज्य मंत्रिमंडल ने 'महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना' शुरू करने को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय और आवासीय सुविधा से वंचित लोग पात्र होंगे। योजना की जानकारी और आवेदन के लिए लोग संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी कदम उठाते हुए 'मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना' के तहत वित्तीय सहायता में भी वृद्धि की है। योजना के तहत अब विधवा और एकल महिलाओं को मकान बनाने के लिए सहायता राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और सरकार बेघर परिवारों को आश्रय प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार ला रही है। योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों में पानी और बिजली कनेक्शन प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिलाओं को भी मकान के निर्माण के लिए चार लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिसमें घर के लिए तीन लाख रुपये और रसोई, शौचालय और बाथरूम जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए दिए जाने वाले एक लाख रुपये शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल हिमाचल प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं से वंचित वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करती है।

एचपीएमसी की सीए भंडारण क्षमता दो साल में हुई दोगुनी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सक्षम नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम एचपीएमसी की नियंत्रित वातावरण भंडारण सीए स्टोर क्षमता को पिछले दो वर्षों के दौरान दोगुना किया गया है। राज्य में 7 सीए स्टोर में कुल भंडारण क्षमता वर्ष 2023 से पहले 3380 मीट्रिक टन थी जिसे सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अब बढ़ाकर 8260 मीट्रिक टन कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में बागवानों और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और सीए स्टोर की क्षमता में वृद्धि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे बागवानी क्षेत्र से जुड़े हजारों परिवार लाभान्वित होंगे। अब बागवानों को ऑफ-सीजन के दौरान अपनी उपज के बेहतर दाम मिलना सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से एचपीएमसी बुनियादी अधोसंरचना को विस्तार प्रदान कर रही है। इस कड़ी में गुम्मा सीए स्टोर की क्षमता 640 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2017 मीट्रिक टन कर दी गई है और जरोल-टिक्कर सीए स्टोर की क्षमता अब 640 मीट्रिक टन से बढाकर 2062 मीट्रिक टन किया गया है। इसी प्रकार से रोहड़ू सीए स्टोर की क्षमता 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2031 मीट्रिक टन कर दी गई है। इसके अतिरिक्त किसानों की सुविधा के लिए रिकांगपिओ में 250 मीट्रिक टन और चच्योट में 500 मीट्रिक टन की क्षमता वाले नए सीए स्टोर स्थापित किए गए हैं।

बागवानों और किसानों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने सीए स्टोर बुकिंग दरें भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह से घटाकर 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह की हैं, जिससे किसानों और बागवानों को वित्तीय राहत मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान अनेक निर्णय लिए हैं। प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत की है और सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत 12 रुपये प्रति किलो की दर से सेब की खरीद की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कीटनाशकों पर सब्सिडी फिर से शुरू कर दी है, जिसे पिछली भाजपा सरकार ने बंद कर दिया गया था। सरकार ने मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों को 150 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान भी जारी किए हैं।

सरकार ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए आमंत्रित किए सुझाव

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। बजट को और अधिक लोक केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। सरकार ने आम-जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सुझाव 31 जनवरी, 2025 तक ई-मेल के माध्यम से budgetidea.hp@gmail.com अथवा प्रधान सचिव वित्त के कार्यालय के कमरा नम्बर A-319 आर्म्सडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के वैब-पोर्टल पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर दिए जा सकते है। इससे बजट में पारदर्शिता, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

रिश्ते चार सिद्धांतों पर आधारित होते हैं: सम्मान, समझ, स्वीकृति और प्रशंसा।

..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

संसद परिसर में जो घटा वह निंदनीय है

इस बार संसद परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के सांसदों को जिस तरह से संसद के अन्दर जाने से रोका गया और स्थिति धक्का मुक्की तक पहुंच गयी उसे पूरे देश ने देखा है। यह मामला एफ आई आर तक पहुंच गया है। भाजपा के दो सांसदों को चोट लगने का आरोप है। इसके लिये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मामला बनाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे भी इस धक्का मुक्की से नीचे गिर गये थे। कांग्रेस ने भी इस पर एफआईआर दर्ज करवाई है। पूरा प्रकरण जांच के लिये क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। पूरा संसद परिसर सीसीटीवी कैमरों से लैस है इसलिए जांच में इन कैमरों के माध्यम से पूरा सच देश के सामने आ जायेगा। इसलिए जांच रिपोर्ट आने तक इस प्रकरण पर कुछ भी ज्यादा कहना सही नहीं होगा। लेकिन स्थितियां यहां तक क्यों पहुंची? किस तरह का राजनीतिक वातावरण पिछले दिनों देश में निर्मित हुआ है उस पर एक नजर मोटे तौर पर डालना आवश्यक हो जाता है।

इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा मोदी चार सौ पार का नारा लेकर चले थे। राम मन्दिर का निर्माण भाजपा का बड़ा संकल्प था। उसकी प्राण – प्रतिष्ठा का आयोजन भी सारे सवालों के बावजूद चुनावी गणित को सामने रखकर करवा दिया। लेकिन यह सब करने के बाद भी लोकसभा में भाजपा का आंकड़ा 240 पर आकर रुक गया। लोकसभा के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनावी जीत में फिर ईवीएम का मुद्दा आकर खड़ा हो गया। महाराष्ट्र में यह मुद्दा जो आकार लेने जा रहा है उसके परिणाम गंभीर होंगे। इसी बीच अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का मामला वहां की अदालत तक पहुंच गया। यहां विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। अडानी और ईवीएम दो मुद्दे विपक्ष के हाथ लग गये। इसी बीच संसद में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा की बात उठ गयी ईवीएम के मुद्दे पर ममता और उमर अब्दुल्ला तथा सपा कांग्रेस से अलग हो गये। इसी बीच प्रधान मंत्री ने संसद के इसी सत्र में 'एक देश एक चुनाव' लाकर खड़ा कर दिया। इन मुद्दों की चर्चा में संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आयी उसने पूरे देश में दलित समाज को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। इण्डिया गठबंधन जो परोक्ष में अडानी और परोक्ष में ईवीएम के मुद्दे पर बिखरने के कगार पर पहुंच गया था उसे 'एक देश एक चुनाव' और डॉ. अम्बेडकर के मुद्दों ने फिर अनचाहे ही संसद में इकट्ठा कर दिया।

'एक देश एक चुनाव' तो कमेटी को चला गया है। लेकिन अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरी तरह अडिग है। गृह मंत्री अमित शाह के त्यागपत्र की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री यह मांग स्वीकारने की स्थिति में नहीं है। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक भी अभी कमेटी के पास ही है। वक्फ पर नीतीश और चन्द्रबाबू नायडू का समर्थन सरकार को मिल ही जायेगा यह निश्चित नहीं है। संघ और भाजपा के रिश्ते अभी तक ज्यादा सुधार नहीं पाये हैं और इसी कारण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है। इस वस्तु स्थिति में जब संसद में विपक्ष नियमित विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर चल रहा हो तो सरकार के लिए स्थितियां सुखद नहीं हो सकती। जब इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही हो तो सरकार के लिये और भी असहज स्थिति हो जाती है। क्योंकि 'एक देश एक चुनाव' के मुद्दे ने कई बुनियादी संवैधानिक सवाल खड़े कर दिये हैं। देश में 1967 तक सारे चुनाव एक साथ होते थे क्योंकि तब कहीं यह नहीं था कि किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा से आगे पीछे हो रहा हो। केवल 1959 में केरल में अपवाद की स्थिति बनी जब वहां राष्ट्रपति शासन लगा था। लेकिन आज पूरे देश की स्थिति बदली हुई है। ऐसे में यह कैसे संभव हो सकेगा कि विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर करेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनसे यह आशंका बलवती हो गई है कि इस विधेयक के माध्यम से क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को खतरा हो गया। इस स्थिति को अधिनायक वाद के पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इस वस्तु स्थिति में जो कुछ संसद परिसर के अन्दर घटा है और पुलिस जांच तक जा पहुंचा है उसके परिणामों को धैर्य से देखने तथा समझने की आवश्यकता होगी। यह देश के भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम प्रमाणित होगा। इसमें कांग्रेस को अपने प्रदेशों के नेतृत्व पर कड़ी नजर बनाये रखनी होगी।

सार्वजनिक स्थल या अवैध तरीके से कब्जे की भूमि पर धार्मिक केन्द्र की स्थापना गैर-इस्लामिक

गौतम चौधरी

इस्लाम एक अलग किस्म का धर्म है। इसे आप पूर्ण रूप से अब्राहमिक दर्शन या सोशल ऑर्डर का धर्म नहीं कह सकते हैं। इसकी पूरी जीवन शैली ही समानता और आपसी भाईचारे पर टिकी है। इसे आप इस्लाम की विशेषता भी कह सकते हैं। यह चिंतन किसी को भी व्यक्तिगत या समूह को अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग की इजाजत नहीं देता है। यही नहीं यह चिंतन किसी व्यक्ति या समूह को किसी की जायज संपत्ति हड़पने को भी गैर-धार्मिक मानता है। इस्लामिक चिंतन में पारस्परिक स्थानों सहित सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने को पाप की श्रेणी में रखा गया है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में इस बात की मुकम्मल चर्चा की गयी है। यही कारण है कि आज भी जहां धार्मिक स्थान बनाए जाते हैं वह स्थान कानूनी तौर पर वैध होता है और अनुयायियों द्वारा खरीदी गई होती है। इस्लाम के लगभग सभी नवियों ने अपनी शिक्षाओं में इस बात का जिक्र किया है।

सार्वजनिक भूमि की यदि बात करें तो इस्लाम में संपूर्ण मानव जाति का समर्थन करने के लिए एक पवित्र ट्रस्ट के रूप में देखा जाता है। संपत्ति के विशेषाधिकारों के लिए इस्लामी संरचना नैतिक और भौतिक प्रतिबद्धताओं पर आधारित है, जो भूमि के दोहरे व्यवहार, संचय या अव्यावहारिक उपयोग को रोकने की अपेक्षा करती है। ओटोमन लैंड कोड, 1858 के अनुसार सार्वजनिक स्थान, जिनमें सड़कें और अन्य भूमि शामिल हैं, लोक कल्याण की श्रेणी में रखा गया है। ये स्थान सार्वजनिक हित के लिए है। इसपर किसी व्यक्ति या समूह का अधिकार नहीं हो सकता है। ऐसे स्थानों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए या किसी आयोजन में धार्मिक उपयोग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह गैरकानूनी तो है ही इस्लाम की दृष्टि से धर्म के खिलाफ भी है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दूसरों की चीज़ों को अनुचित रूप से लेने के खिलाफ चेतावनी दी गयी है, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक।

इसके अलावा, इस्लाम सार्वजनिक संपत्ति को भी निजी या किसी समूह के हित के लिए खर्च करने अनुमति नहीं देता है। इस्लाम में अवैध रूप से प्राप्त भूमि पर मस्जिद या अन्य धार्मिक संरचनाओं के विकास को अनुचित बताया गया है। एक मस्जिद, जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह अल्लाह के कथन को फैलाएगी और प्रेम, शांति और सद्भाव के केन्द्र के रूप में कार्य करेगी, यदि वह अवैध रूप से कब्जे वाली भूमि पर बनी हो, अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती है। बरैलवी फिरके के आलिम मुफ्ती तुफैल बताते हैं कि इसकी पुष्टि, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर, द्वारा मस्जिद अल-दिरार शरारत की मस्जिद को खारिज करने से होती है, जिसे कुछ पाखंडियों द्वारा श्रद्धालुओं के बीच कलह फैलाने के लिए शरारत से बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब पैगंबर मुहम्मद को इसकी असलियत का पता चला तो उन्होंने उस मस्जिद को नष्ट करवा दिया। यह पुष्टि करता है कि किसी मस्जिद की पवित्रता उसकी स्थापना के वैध होने से जुड़ी होती है। इस्लामिक विद्वान इस बात पर एकमत है कि धोखे से प्राप्त भूमि पर बनी मस्जिद में की गयी प्रार्थना अल्लाह को स्वीकार्य नहीं है।

इसके लिए मानक स्पष्ट है, यदि भूमि को अवैध रूप से विनियोजित किया गया है, तो निर्माण चाहे कितना भी शद्ध तरीके से किया गया हो, उस धार्मिक स्थाल पर नमाज पढ़ना हराम माना जाएगा। इस मामले में इस्लाम के दूसरे खलिफा अबुबक्र सिद्दकी का वाकया भी बेहद मुहत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि यदि भूमि अवैध रूप से प्राप्त किया गया है तो उप पर बना धार्मिक स्थल किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। भूमि के कब्जे और उपयोग से निपटने का इस्लाम का तरीका आम तौर पर लोकलुभावन है, जिसका उद्देश्य यह गारंटी देना है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी उल्लंघन के आवश्यक स्वतंत्रता प्राप्त करे। सार्वजनिक स्थानों को कठिनाई और शर्मिंदगी से बचाने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित नियंत्रण इन गुणों को नष्ट कर देता है और सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़ देता है।

नेक कार्यों के लिए सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर इस्लामी दृष्टिकोण स्पष्ट है। सार्वजनिक स्थान समाज के समग्र लाभ के लिए निहित एक सार्वजनिक संपत्ति हैं और उनका गैरकानूनी उपयोग इस्लामी शिक्षा और नैतिक मानकों दोनों की उपेक्षा करता है। इस तरह, मुसलमानों को यह गारंटी देनी चाहिए कि उनके धार्मिक स्थाल इस तरह से बनाए गए हैं जो इस्लाम में सम्मानित समानता और नैतिक गुणवत्ता के अनुरूप है। वह अवैध किसी की जमीन पर कब्जा करके नहीं बनाया गया है। या फिर किसी अन्य धर्म व आस्था के स्थल को ध्वस्त करके नहीं बनाया गया है।

इस आलेख में कई स्थानों पर पवित्र ग्रंथ और इस्लामिक रेफरेंस को उक्तत किया गया है। ऐसा इस्लामिक विद्वानों के साथ बात करके किया गया है।

विश्व ध्यान दिवसःआत्म–साक्षात्कार और विश्व शांति की ओर एक कदम

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 दिसंबर से विश्व ध्यानदिवस मनाने की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है

डॉ. नीलम महेंद्र

दरअसल मेडिटेशन या ध्यान को सदियों से केवल आध्यात्म से जोड़ कर देखा जाता था। लेकिन आज विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मेडिटेशन का सकारात्मक प्रभाव केवल मानव के मन या मस्तिष्क हीनहीं उसके तन पर भी पड़ता है।

इसलिए 21 जून को योग दिवस मनाए जाने के बाद सम्पूर्ण विश्व में अब 21 दिसंबर को ध्यान दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य योग की ही भांति ध्यान को जन–जन तक पहुंचाना और इसे मानव जीवन के अभिन्न अंग के रूप मेंस्थापित करके एक स्वस्थ विश्व की नींव मजबूत करना है।

वस्तुत: वर्तमान युग में जब मनुष्य तेजी से भागदौड़ औरतनावपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश है, ध्यान उसके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को संतुलित करने का एक सहज, सरल प्राकृतिक साधन बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं वैश्विक स्तर पर प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बन गई हैं। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 280 मिलियन लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं और 40: युवा तनाव और मानसिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। खास बात यह है कि ध्यान, एक साधारण लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया, इन समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती है। अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि ध्यान मस्तिष्क मे डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे सकारात्मक रसायनों के स्तर को बढ़ाता है, जो तनाव को कम करते हैंऔर मूड को स्थिर रखते हैं।

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, केवल आठ सप्ताह के ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क के ग्रे मैटर में वृद्धि देखी गई, जो सीखने, याददाश्त और भावनात्मक विनियमन में सहायक है।

इस प्रकार विभिन्न शोधों में यह बात वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध हो चुकी है कि ध्यान केवल मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं है, बल्कि नियमित रूप से इसका अभ्यास उसके जीवन के हर पहलू को समृद्ध कर सकता है।

ध्यान के वैज्ञानिक आधार को समझने के लिए न्यूरोसाइंस मे किए गए शोधों पर ध्यान देना आवश्यक है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में किए गए एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि नियमित ध्यान मस्तिष्क के अमिगडाला जो भय और तनाव का केंद्र है। की गतिविधि को कम करता है, जिससे व्यक्ति तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और संतुलित बना रहता है।

ध्यान के इन वैज्ञानिक लाभों को अब विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। कई अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र अब ध्यान को मानसिक स्वास्थ्य उपचार का हिस्सा बना रहे हैं। कैंसर, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियो के लिए ध्यान को सहायक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जर्नल ऑफक्लिनिकल साइकॉलजी में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया कि ध्यान से न केवलमरीजों के दर्द की अनुभूति कम होती है, बल्कि उनमें इलाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसितहोता है।

ध्यान का प्रभाव केवल मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नही है। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान के प्रभाव को भी अब व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, ध्यान नियमित रूप से करने से हृदय की गति और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे हृदय रोगों का जोखिम 30: तक कम हो सकता है। इसके अलावा, ध्यान प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में अधिक सक्षम बनता है।

इतना ही नहीं रिसर्च में यह बात भी सामने आई कि ध्यान का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर सीमित नहीं होता। जब एक व्यक्ति ध्यान करता है, तो वह अपनी आंतरिक ऊर्जाको सकारात्मक दिशा में केंद्रित करता है, जिसका असर उसके आस–पास के वातावरण पर भी पड़ता है। कई अध्ययनो ने यह साबित किया है कि सामूहिक ध्यान के दौरान अपराध दर में गिरावट, सामाजिक सौहार्द में वृद्धि और पर्यावरणीय सामंजस्य जैसे सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं। 1993 में वाशिंगटन डी.सी. में किए गए एक शोध में पाया गया कि सामूहिक ध्यान के दौरान शहर में अपराध दर में 23: की गिरावट आई।

मेडिटेशन जैसे एक सरल माध्यम से मानवीय आचरण में इस प्रकार के मूलभूत बदलाव इसकी वैज्ञानिकता मनोवैज्ञानिकता का प्रमाण है।

मेडिटेशन के इन्हीं सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए आजकॉर्पोरेट कल्चर वाली कई मल्टिनैशनल कंपनियां अब ध्यान को अपनी कार्य संस्कृति में शामिल कर रही हैं। गूगल, एप्पल, और माइक्रोसाफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए नियमित ध्यान सत्र आयोजित कर रही हैं।

आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में हमारे बच्चे भी पढ़ाई मे अपने प्रदर्शन को लेकर तनाव में रहते हैं। अध्ययन बताते हैं कि जो छात्र नियमित रूप से ध्यान करते हैं, उनकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और भावनात्मक संतुलन में सुधार होता है। भारतीय विद्यालयों में किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट में पाया गया कि ध्यान के नियमित अभ्यास से बच्चों की परीक्षा में प्रदर्शन में 20 प्रतिशत तक सुधार हुआ। हालांकि, ध्यान के महत्व को समझने और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी भी दुनिया की 60% से अधिक आबादी ध्यान केलाभों और इसकी प्रक्रिया से अनभिज्ञ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्वध्यान दिवस मनाने का यह निर्णय निश्चित ही वैश्विक स्तर पर लोगों में मेडिटेशन के फायदों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। निस्संदेह यह प्रयास एक स्वस्थ एवं समर्द्ध विश्व की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है ।

महिला सशक्तिकरण की राह प्रशस्त कर रहा मनरेगा, ग्रामीण आर्थिकी हो रही सुदृढ़

दिहाड़ी में 60 रुपए की ऐतिहासिक बढ़ौतरी से आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना हो रही साकार, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मिला संबल

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मनरेगा कामगारों को इसके माध्यम से जहां घर–द्वार पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, वहीं उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है। पुरूषों के मुकाबले महिलाएं बढ–चढ़ कर मनरेगा कार्य कर अपने परिवार का पालन–पोषण में योगदान दे रही हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक

संबल मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष सुखमय बजट पेश करते हुए मनरेगा दिहाड़ी 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये की है, जो हिमाचल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ौतरी है। इस वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में गति मिल रही है। सरकार के इस कदम से मंडी जिला में ही डेढ़ लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचा है, जबकि दो लाख 42 हजार से अधिक मनरेगा कामगार इससे लाभान्वित हुए हैं।

जिला मंडी में अब तक मनरेगा के तहत 280 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। बालीचौकी विकास खंड में सबसे अधिक 33 लाख 16 हजार, गोहर विकास खंड में 30 लाख 55 हजार, धर्मपुर विकास खंड में 30 लाख 50 हजार, मंडी सदर में 29 लाख 53 हजार तथा सराज विकास खंड में 29 लाख 14 हजार रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

जिला में इस वर्ष अभी तक कुल 75 लाख 48 हजार 678 कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं, जिनमें से महिलाओं द्वारा 52 लाख 70 हजार 545 कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। जिला में 2 लाख 42 हजार 908 लोगों ने मनरेगा के माध्यम से रोजगार की मांग की, जिनमें से 2 लाख 42 लाख 868 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

विकास खंड सदर की ग्राम पंचायत डवाहण के गांव कलोथर की कौशल्या देवी ने बताया कि वह मनरेगा में कार्य करती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इस वर्ष मनरेगा की दिहाड़ी 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है। आमदनी बढ़ने से अब वह अपने परिवार का पालन–पोषण और अच्छी तरह से करने में सक्षम हुई हैं। उसकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हुई है। इसके लिए वह मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए उनका आभार व्यक्त कर रही है।

ग्राम पंचायत गोहर के निवासी मोहन लाल कहते हैं कि कोविड काल में उनकी नौकरी छूट गई थी। वह घर आ गए और उसके बाद मनरेगा से ही अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहे हैं। इस वर्ष मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मनरेगा की दिहाड़ी में 60 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की है जो एक सराहनीय कदम है। इसके लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं।

गोहर विकास खंड के गोहर की रहने वाली शुद्धि देवी, ग्राम पंचायत भरगांव के लोहारड़ गांव की अनिता, ग्राम पंचायत डवाहण के कलोथर की मैना देवी, द्रंग विकास खंड के गांव बसेहड़ की गुडी देवी, पधर की कविता व रेखा, करसोग की प्रोमिला, ममेल की आशा व जोगेंद्रनगर की सुनिता इत्यादि ने भी एकमुश्त इतनी दिहाड़ी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मनरेगा के तहत मंडी जिला में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला में अब तक लगभग 280 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 75 लाख 48 हजार कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं।

उत्तरी भारत के भविष्य के लिए एक चुनौती बनता वायु प्रदूषण एवं उसकी गुणवत्ता

–राजन कुमार शर्मा–

जैसा की हर वर्ष सर्दियों का मौसम आते ही उत्तरी भारत के मुख्य महानगरों एवं शहरों में वायु गुणवत्ता की भयानक स्थिति देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति तब होती है जब ठंडी हवा गर्म हवा की तुलना में अधिक सघन होती है और धीमी गति से चलती है। इस घनत्व का मतलब है कि ठंडी हवा प्रदूषण को फंसा लेती है, लेकिन उसे दूर नहीं ले जाती। सर्दियों में वायु प्रदूषण बहुत लंबे समय तक बना रहता है और इसलिए गर्मियों की तुलना में सांस के ज़रिए अधिक मात्रा में अन्दर जाता है। वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि औद्योगिक प्रदूषण, विशेष रूप से कारखानों द्वारा उत्सर्जित सूक्ष्म कण, एक ऐसी घटना को जन्म दे सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप आस–पास के क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी होती है। बर्फ की चादर ज़मीन के पास की हवा को ठंडा बनाती है और साफ़ आसमान ऊपरी वायुमंडल को गर्म करता है। अगर कोई उच्च दबाव प्रणाली आगे बढ़ती है, तो गर्म हवा का धीरे–धीरे डूबना ठंडी हवा के ऊपर एक टोपी की तरह काम करता है, बिल्कुल घाटी के कटोरे के ऊपर ढक्कन की तरह, हर मौसम अपने साथ वायु गुणवत्ता की समस्याएं लेकर आता है। सर्दी आमतौर पर साल का सबसे प्रदूषित मौसम होता है, जिसका मुख्य कारण हीटिंग और परिवहन के लिए ईंधन का अधिक दहन और यह तथ्य है कि ठंडी घनी हवा प्रदूषकों को सतह के करीब रखती है। ग्रीष्म ऋतु में भूमि–स्तर ओजोन जैसे वायु प्रदूषक अधिक होते हैं, क्योंकि धूप वाला गर्म मौसम ओजोन निर्माण में सहायक होता है। जबकि कणीय पदार्थ और कार्बन–मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषक, ठण्डे सर्दियों के महीनों में तापन और व्युत्क्रम परतों के प्रभाव के कारण बढ़ जाते हैं। सर्दियों के तूफ़ान और ठंडे तापमान आपके घर के अंदर और आस–पास संभावित रूप से ख़तरनाक स्थितियां पैदा कर सकते हैं, जिसमें आपके घर के अन्दर की हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करना भी शामिल है। अत्यधिक ठंड और बर्फीली परिस्थितियों के कारण पाइप फट सकते हैं, हानिकारक प्रदूषक घर के अन्दर फंस सकते हैं और आपके घर में बिजली नहीं रह सकती, वायु प्रदूषण अधिक होने का कारण है वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, घरों को गर्म करने के लिए ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस, विनिर्माण और बिजली उत्पादन के उप–उत्पाद, विशेष रूप से कोयला–ईंधन वाले बिजली संयंत्र, और रासायनिक उत्पादन से निकलने वाले धुएं मानव निर्मित वायु प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत हैं। वायु प्रदूषण सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और यह दृश्यता को कम करके और सूरज की रोशनी को अवरुद्ध करके, अम्लीय वर्षा का कारण बनकर, और जंगलों, वन्यजीवों और कृषि को नुकसान पहुंचाकर पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। ग्रीनहाउस गैस प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन का कारण, पूरे ग्रह को प्रभावित करता है। यदि हम उपायों की बात करें तो, प्रदूषण को कम करने का पहला तरीका 3 Rs अवधारणा का अभ्यास करना है, अर्थात कम करना, पुन: उपयोग करना और रीसाइकिल करना है। नागरिकों को एयर कंडीशनर का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि इससे हानिकारक गैसें निकलेंगी, ओज़ोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन तुरंत निकलेंगे जिससे वायु प्रदूषण कम होगा।

प्रदूषित वायु को साफ करने के लिए 'एरोसोल निस्पंदन' वायु शुद्धिकरण का एक प्रभावी साधन है, साथ ही इसका उपयोग द्रव्यमान और रासायनिक संरचना निर्धारण के लिए वायुजनित सामग्री के नमूने लेने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। अत: वर्तमान में इसकी रोकथाम हेतु उचित योजना व कार्य प्रणाली का उपयोग करना भविष्य के लिए सार्थक सिद्ध होगा।

दो वर्षों में किया 546 पेयजल व 174 सिंचाई योजनाओं को पूर्णःउपमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश में लम्बे समय से उत्पन्न सूखे की स्थिति के कारण जल स्रोतों में कमी आ रही है। सूखे के कारण आने वाले समय में प्रदेश में जलापूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आये इसके लिए विभाग को पानी का तर्कसंगत प्रबंधन करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। धर्मशाला

में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभाग को जल प्रबंधन के लिए गंभीरता के कार्य करने की आवश्यकता है तथा इसके लिए समाज के विभिन्न घटकों को जागरूक कर जल प्रबंधन में उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करें।

मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक में जल शक्ति विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यो की समीक्षा कर अधिकारियों से परियोजनाओं का पूर्ण ब्योरा लिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में जल शक्ति विभाग से संबंधित सभी लंबित कार्यो को तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक का संचालन करते हुए प्रमुख अभियंता अंजू शर्मा ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष विभाग से संबंधित जानकारियों को विस्तारपूर्वक रखा। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग दो वर्षो में प्रदेश में विभाग द्वारा 546 जलापूर्ति व 174 सिंचाई की स्कीमें पूर्ण की गई हैं। इसके अलावा 5 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 10 बाढ़ सुरक्षा कार्य भी पूर्ण किए गए हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारीयों को कहा कि वे विभागीय कार्यो के प्रति पूर्ण निष्ठा से काम करें। उन्होंने अधिकारियों से निविदाओं मे परदर्शिता बरतने के साथ प्रत्येक काम को चरणबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग का कार्य आम जनमानस से जुड़ा है इसलिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम के प्रति ढुल-मुल रवैया न रखे, जिससे विभाग की छवि खराब हो।

'केंद्र के समक्ष मजबूती से रखेंगे अपना पक्ष'

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जलशक्ति विभाग से संबंधित स्कीमों को विभाग के अधिकारी तत्परता से पूरा करने में ध्यान दें। विभाग की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि वे केन्द्र सरकार से लंबित स्कीमों को पूरा करने के मामले को उठाएंगे और प्रदेश का हिस्सा जारी करने के लिए आग्रह करेंगे। उन्होंने बताया कि वे इससे पहले भी केन्द्रीय मंत्रे से मिलकर मामले को उठा चुके हैं।

चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे खाली पद, करूणामूलक आधार पर भी करेंगे भर्तियां

अधिकारियों ने विभाग में पदोन्नति सहित विभिन्न श्रेणियों में नियमितिकरण और खाली पड़े पदों को भरने का मुद्दा भी उठाया जिस पर उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पदोन्नति समय पर ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अनुबन्ध का कार्यकाल पूरा करने वालों का नियमितिकरण करेगी। वहीं विभाग में खाली पड़े पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। समीक्षा बैठक में करूणामूलक भर्तियों का मामला भी चर्चा में आया जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही सरकार करूणामूलक भर्तियां भी करेगी।

ग्रामीण क्षेत्र में नहीं वसूली जाएगी पानी के बिल की पिछली बकाया राशि

उपमुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र मे किसी भी उपभोक्ता से पानी बिल की पिछली बकाया राशि को न वसूला जाये। उन्होंने कहा कि अगर गलती से किसी को बकाया राशि से साथ बिल भेजा गया है तो उसे तुरंत वापस लिया जाए। इसमें कोताही पर अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से महीने का केवल 100 रुपये का बिल ही लिया जाएगा।

इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, इंजीनियर इन चीफ (प्रोजेक्ट) धर्मेन्द्र गिल, धर्मशाला जोन के चीफ इंजीनियर दीपक गर्ग सहित जल शक्ति विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत 21071 आवास स्वीकृत

शिमला/शैल। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री चन्द्र शेखर पेसामनी ने राज्यसभा सांसद इन्दु बाला गोस्वामी को संसद में बताया की प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण केअन्तर्गत पहली अप्रैल 2016 से अब तक हिमाचल प्रदेश में 21071 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं जिसमे से काँगड़ा जिला में 3290 आवास स्वीकृत किये जा चुके है। उन्होंने बताया की प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत देश भर में मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई मांग को कवर करने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण करने की मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया की योजना के अन्तर्गत 16 दिसम्बर 2024 तक राज्यों /केन्द्र शासित राज्यों में 3.22 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले 2.68 करोड़ घरों का निर्माण कर लिया गया है।

उन्होंने बताया की प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पहली अप्रैल 2016 से अब तक पंजाब में 38496, हरियाणा में 28776, उत्तराखंड में 67924, और जम्मू कश्मीर में 284867 घर स्वीकृत किये गए हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद इन्दु बाला गोस्वामी को संसद में बताया की अमृत भारत योजना के अंतर्गत अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन भवन, वेटिंग हॉल, टॉयलेट ब्लॉक, प्लेटफार्म शेल्टर, एंट्रेन्स पोर्च, एन्ट्री/एग्जिट गेट, सर्कुलटिंग एरिया और पार्किंग एरिया का कार्य पूरा कर लिया गया है जबकि फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू गया है। उन्होंने बताया की अमृत भारत योजना के अंतर्गत बैजनाथ पपरोला स्टेशन पर स्टेशन बिल्डिंग की इम्प्रूवमेंट, वेटिंग हॉल, प्लेटफार्म सरफेसिंग, एंट्रेन्स पोर्च, सर्कुलटिंग एरिया, पार्किंग एरिया,एन्ट्री / एग्जिट गेट का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया की उत्तरी जोन को वर्ष 2024-25 के लिए 3448 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य पड़ता है।

भून्तर, गग्गल और शिमला हवाई अड्डे कृषि उड़ान योजना के अन्तर्गत चिह्नित

शिमला/शैल। केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री अनुप्रिया पटेल ने राज्य सभा सदस्य इन्दु बाला गोस्वामी को एक प्रश्न के उत्तर में बताया की केन्द्र सरकार ने नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये मेडिकल कॉलेज के पास चम्बा, हमीरपुर और सिरमौर में नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होंने बताया की यह नर्सिंग कॉलेज केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत खोले जायेंगे। जिसके अन्तर्गत विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केन्द्र और राज्यों की हिस्सेदारी क्रमश 90:10 के अनुपात में होगी।

केन्द्रीय नागरिक उड्यन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल में ने राज्य सभा सदस्य इन्दु बाला गोस्वामी को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया की केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू (भून्तर), गग्गल और शिमला हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना के अन्तर्गत चिह्नित किया है।

उन्होंने बताया की इन हवाई अड्डों को पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को तत्काल प्रभाव से प्रभावी और निर्बाध तरीके से मार्किट में पहुंचाने के लिए वायुयान मार्ग का उपयोग करने के लिए कृषि उड़ान योजना के अन्तर्गत चिह्नित किया है। उन्होंने बताया की कृषि उड़ान योजना के अन्तर्गत सभी खराब होने वाली फसलों को कवर किया गया है जिसमे बागबानी, मछली, पशुधन और प्रोसेस्ड उत्पादों को शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया की पुरे देश में कृषि उड़ान योजना के अन्तर्गत 58 एयरपोर्ट्स को चुना गया है।

आवर्ली बेस्ड टीचर' अस्थाई व्यवस्था, 15 हजार नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारीः रोहित ठाकुर

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा है कि 'आवर्ली बेस्ड टीचर' एक अस्थाई व्यवस्था है। प्रदेश सरकार किसी

विषय के अध्यापक के छुटी पर जाने की अवधि के दौरान इन अध्यापकों की सेवाएं पीरियड के आधार पर ली जा सकेंगी और यह सेवाएं एक महीने में दस दिन से अधिक नहीं ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सरकार इसलिए कर रही है ताकि किसी अध्यापक के अवकाश पर जाने के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई एक दिन भी प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि 'आवर्ली बेस्ड टीचर' से शिक्षा विभाग में नियमित भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता सीधी भर्ती से अध्यापकों को नौकरी प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 15 हजार पदों पर भर्ती कर रही है, जिनमें से तीन हजार से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं और बाकी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह तूल देने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में अध्यापकों की भर्ती नहीं हुई, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने बिना बजट और बिना स्टाफ के सिर्फ नए संस्थान खोलने या अपग्रेड करने की घोषणाएं ही कीं ताकि विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके, लेकिन प्रदेश की जनता ने चुनाव में भाजपा को सिरे से नकार दिया। पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा का स्तर गिरा और शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग फिसल कर देश भर में 21वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए जयराम ठाकुर को अपनी गलत नीतियों के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दे रही है और 'आवर्ली बेस्ड टीचर' लगाना भी इसी प्रयास का हिस्सा है। जब तक अध्यापकों की नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों को जूझना न पड़े इसलिये प्रिंसिपल को आवर्ली बेस्ड टीचर रखने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे नियमित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी वैसे-वैसे 'आवर्ली बेस्ड टीचर' की आवश्यकता कम होती जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पदोन्नति के माध्यम से भी शिक्षा विभाग में पदों को भरा है जबकि पिछली भाजपा सरकार इसमें भी नाकाम रही थी।

फोर्टिस मोहाली के डॉक्टरों ने वॉटर वेपर थेरेपी 73 वर्षीय व्यक्ति का इलाज किया

शिमला/शैल। प्रोस्टेट से पीड़ित एक 73 वर्षीय व्यक्ति, जिसके कारण उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके लिए एकयूरीनरी कैथेटर भी डाला गया था ऐसे मरीज को फोर्टिस हॉस्पिटल में वॉटर वेपर थेरेपी के माध्यम से एक नया जीवन दिया गया। वॉटर वेपर थेरेपी एक दर्द रहित डे-केयर प्रक्रिया है जो उच्च जोखिम वाले रोगियों या युवा रोगियों को दी जाती है, जो अपनी प्रजनन क्षमता को संरक्षित करना चाहते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव पारंपरिक प्रक्रिया के समान हैं।

रोगी को स्ट्रोक भी हुआ था और वह हृदय रोग भी पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी कार्डियक स्टेंटिंग की गई थी और उन्हें रक्त पतला करने वाली दवा दी जा रही थी। बीपीएच के इस मामले में सर्जरी की आवश्यकता थी। क्योंकि यह एक उच्च जोखिम वाला मामला था, इसलिए सर्जरी कराना उनके लिए जानलेवा हो सकता था। मरीज ने कई अस्पतालों का दौरा किया लेकिन आखिरकार में फोर्टिस अस्पताल, मोहाली के यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी विभाग के कंसलटेंट डॉ. रोहित डधवाल ने गहन जांच के बाद, रोगी के लिए वॉटर वेपर थेरेपी की गई। पूरी प्रक्रिया में लगभग पांच मिनट का समय लगा और मरीज को कैथेटर पर छुटी दे दी गई, जिसे एक सप्ताह के बाद हटा दिया गया।

इस प्रक्रिया में प्रोस्टेट ऊतक को काटने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कोई रक्तस्राव नहीं होता है, और कोई दर्द नहीं होता है। यह प्रक्रिया स्थानीय एनेस्थीसिया के तहत की जाती है और रोगी को एक घंटे तक निगरानी में रखा जाता है।

डॉ. डधवाल ने बताया रोगी को वॉटर वेपर थेरेपी दी गई और प्रक्रिया के एक घंटे बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। चूंकि उनकी किडनी बीमारी से प्रभावित थी, इसलिये कैथेटर को दो सप्ताह तक रखा गया जब तक कि किडनी क्षति से ठीक नहीं हो गई। दो महीने बाद, मरीज पूरी तरह से ठीक है और सामान्य जीवन जी रहे है।

जन संगठनों, पर्यावरण समूहों और नागरिकों की राष्ट्रपति से अपील

100 से अधिक जन संगठनों, पर्यावरण समूहों और 300 से अधिक नागरिकों ने राष्ट्रपति से अरुणाचल की सियांग घाटी में 11000 मेगावाट जलविद्युत बांध सर्वेक्षण के लिए तैनात अर्धसैनिक बलों को वापस लेने की अपील की है जलवायु आपदाओं और जैव विविधता आवासों के नुकसान का खतरा बढ़ गया है।

देश भर और विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के 351 से अधिक चिंतित नागरिकों – कार्यकर्ता, शोधकर्ता, वकील, वैज्ञानिक, पत्रकार, सामुदायिक प्रतिनिधियों और 109 जन संगठनों और पर्यावरण समूहों ने राष्ट्रपति को एक तत्काल अपील भेजकर अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी में अर्धसैनिक बलों को वापस बुलाने की मांग की है। 11000 मेगावाट 11 गीगावाट सियांग अपर वैली बहुउद्देशीय परियोजना एसयूएमपी के लिए पूर्व – व्यवहार्यता सर्वेक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई तैनाती को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है। पिछले सप्ताह घाटी के गांव क्षेत्र की मूल आबादी के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए, राष्ट्रपति को सौंपे गये ज्ञापन में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि यह भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं होंगी और इनमें से एक में निवास करने वाली स्थानीय आदि जनजाति के विरोध को देखते हुए यह वर्षो से राज्य में एक उग्र विवाद रहा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट।

हिम सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम एसआईएफएफ के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं, जो सरकार के सामने अपनी बात रख रहा है और मेगा जलविद्युत बांध के निर्माण के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यह परेशान करने वाली बात है कि राज्य और केंद्र सरकार कुछ महीने पहले किए गए अपने ही वादे से पलट गई है कि परियोजना की कोई भी गतिविधि लोगों की सहमति के बिना शुरू नहीं की जाएगी।

पत्र में हिमालय क्षेत्र में इन जलविद्युत बांधों की खतरनाक प्रकृति के हालिया साक्ष्यों को उजागर किया गया है। पिछले कुछ वर्षो में पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों में बाढ़, हिमनद झील का फटना, बादल का फटना, भूस्खलन, धंसती ज़मीन और हिमस्खलन जैसी जलवायु संबंधी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ के कारण आधिकारिक तौर पर 5000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान हुआ। 2021 में चमोली में हिमस्खलन के कारण विनाशकारी बाढ़ आई, जिसने जलविद्युत बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया और 200 से अधिक लोगों की जान ले ली। 2023 में, सिक्किम में ग्लेशियल झील के विस्फोट से तीस्ता बांध नष्ट हो गया। और इस साल हिमाचल प्रदेश में मलाणा बांध टूट गया क्योंकि यह ऊपर से अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गया।

इन सभी घटनाओं में न केवल सैकड़ों करोड़ रुपये की जलविद्युत संरचना पूरी तरह से नष्ट हो गई, बल्कि बांध के निचले हिस्से में स्थित घरों, खेतों और खेतों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और निजी संपत्तियां भी बह गईं। पिछले कुछ वर्षो में हिमालय क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से संबंधित हताहतों की संख्या भी बढ़ रही है। ये घटनाएं क्षेत्र की आपदा क्षमता को बढ़ा रही हैं, जैसा कि कई वैज्ञानिक अध्ययनों से भी पता चला है। हाल ही में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा उच्च पर्वतीय एशिया में भूस्खलन का खतरा बढ़ने का अनुमान है। शीर्षक से एक अध्ययन आयोजित किया गया था और 1990 और 2014 के बीच दर्ज किए गए आधारभूत स्तरों की तुलना में सदी के अंत तक भूस्खलन के खतरों में 30% से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। विस्फोट और उत्खनन द्वारा ढलान को अस्थिर करने के कारण बांधों के आसपास और नीचे के क्षेत्र इन भूस्खलनों और धंसाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। सियांग घाटी के लोग अपने परिदृश्य की संवेदनशीलता, तेजी से बदलती अप्रत्याशित जलवायु परिस्थितियों और इस स्थलाकृति में इतने बड़े निर्माण से जुड़े संभावित खतरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसके अलावा, भारत को हिमालय में अपनी जलविद्युत योजनाओं की समीक्षा करने की गंभीर आवश्यकता है क्योंकि नदी के पानी का बहाव कम होने से वर्ष के बड़े हिस्से में जलविद्युत उत्पादन में गिरावट आती है। उपरोक्त चुनौतियों के कारण एनएचपीसी जैसी संस्थाएं मेगा परियोजनाओं को समय पर चालू करने में बार – बार विफल रही हैं, आवश्यक भूवैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन या आपदा संभावित मूल्यांकन नहीं कर रही हैं और घाटे में चल रही हैं जो सरकारी खजाने पर एक बड़ा झटका है। इसका उदाहरण असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर निर्माणाधीन 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर हाइड्रोपावर परियोजना में क्या हो रहा है, उससे भी मिलता है।

लोगों द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षणों का विरोध करने का एक कारण यह है कि एक बार जब इतने बड़े पैमाने की परियोजना का सर्वेक्षण चल रहा होता है तो यह स्थानीय लोगों के रुख से समझौता करता है क्योंकि परियोजना प्रस्तावक मंजूरी के लिए सर्वेक्षण में निवेश का बहाना बताते हैं। भारत उन सम्मेलनों और जलवायु संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है जो न केवल स्वदेशी लोगों के अधिकारों और उनकी आजीविका की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं, बल्कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की भी रक्षा करते हैं, जिन पर वे जीवित रहने के लिए निर्भर हैं और जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सियांग जिला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से दिहांग – दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर जो पश्चिम सियांग, ऊपरी सियांग और दिबांग घाटी तक फैला हुआ है, जो इसे राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक बनाता है। कई स्थानिक प्रजातियों सहित वनस्पति और जीव इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर जैव विविधता हॉटस्पॉट से जाना जाता है। स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, स्वदेशी लोगों को उनकी भूमि, संसाधनों, आजीविका और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर सहमति देने या वापस लेने का अधिकार देता है। एसआईएफएफ ने सियांग अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था और सितंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया था कि लोगों की सहमति को बरकरार रखा जाये। स्थानीय ग्राम परिषदों की सहमति के बिना कोई भी सर्वेक्षण शुरू करना संवैधानिक कानूनों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 5 का उल्लंघन है।

पत्र में मांग की गई है कि संवैधानिक लोकतंत्र में स्थानीय स्वदेशी आबादी के विश्वास और विश्वास को धमकी, बल और धमकी के बजाये लोकतांत्रिक परामर्श और ग्राम सभाओं की स्वतंत्र पूर्व सूचित सहमति की प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाये रखा जाए।

जारीकर्ता:पीपल फॉर हिमालय और यूथ फॉर हिमालय

अमित शाह ने डॉ. अंबेडकर का ही नही संविधान का भी अपमान किया:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अमित शाह का विरोध तब तक जारी रखेगी जब तक वह डॉ. भीमराव अंबेडकर के संसद में किये गये अपमान के लिये देश से माफी नही मांगते। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने अंबेडकर का ही नही इस देश के संविधान का भी घोर अपमान किया है। इसके लिए उन्हें देश से तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने एक सयुंक्त पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद के अन्दर जाने से रोकना लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के अधिकारों का हनन है जिसे किसी भी स्तर पर सहन नही किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूर्व सुनियोजित ढंग से संसद में अंबेडकर व अडानी जैसे मुद्दों पर किसी भी चर्चा से बचने के लिये व लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संसद के मुख्य द्वार पर पूर्व सुनियोजित ढंग से हाथापाई की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 24 दिसम्बर को पूरे प्रदेश में सभी जिलों में भाजपा के खिलाफ मार्च प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति को जिला उपायुक्तों के माध्यम से एक ज्ञापन देगी। ज्ञापन में भाजपा के संविधान विरोधी चहरे को उजागर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ी है और किसी भीअन्याय के खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ेगी।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने इस दौरान कहा कि देश के लोगों ने अब भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा देख लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर संविधान के रचयिता बाबा साहब का जिस तरह से अपमान किया है वह कभी सहन नही किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा ही संविधान व सांप्रदायिक एकता की विरोधी रही है। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आहवान पर 24 दिसम्बर को देशभर में कांग्रेस अमित शाह के खिलाफ विरोध मार्च करते हुए देश के सभी जिलों में महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी।

कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की प्रखर आवाज बन रहे है। उन्होंने कहा कि संसद में उनकी आवाज दबाने के लिए भाजपा तरह तरह के षडयंत्र रच रही है। पहले उन्हें संसद के अयोग्य घोषित किया, फिर आनन फानन में उनके सरकारी आवास को खाली करवाया गया और अब संसद के मुख्य द्वार पर जिस प्रकार से राहुल गांधी के साथ हाथापाई की गई, उन्हें अंदर जाने से रोका गया और बाद में उन्ही पर विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज किए गए से साफ है कि भाजपा उन्हें परेशान कर हतोत्साहित करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ हाथापाई भाजपा का पूर्व संयोजित षडयंत्र था जिससे लोगों का ध्यान प्रमुख मुद्दों से भटकाया जा सकें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भाजपा की किसी भी तानाशाही से न तो डरने वाले है और न ही पीछे हटने वाले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ अब प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की एक मजबूत आवाज बन गई है जो संसद के अन्दर देश की समस्याओं व लोगों की आवाज बुलंद कर रही है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत एलोपैथिक चिकित्सकों को प्रदेश सरकार देगी पूरा वेतन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अध्ययन अवकाश अवधि के दौरान एलोपैथिक चिकित्सकों को शत – प्रतिशत वेतन देने का निर्णय लिया है। एलोपैथिक चिकित्सकों को अध्ययन अवकाश के दौरान ऑन ड्यूटी माना जायेगा। इससे पूर्व, अध्ययन अवकाश अवधि के दौरान उन्हें कुल वेतन का 40 प्रतिशत वेतन ही दिया जाता था। प्रदेश सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी, शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के साथ – साथ मरीजों की चिकित्सा दायित्व में सामंजस्य स्थापित कर कार्य करते हैं। यह उनके चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञता और राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। राज्य सरकार अध्ययन अवकाश के दौरान चिकित्सकों को पूरा वेतन प्रदान कर उनकी कार्यशैली में गुणवत्ता सुनिश्चित कर रही है ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। सरकार का यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

क्या सुक्खू सरकार भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ है? क्या यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कड़ा कानून बन पायेगी? यह सवाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा द्वारा लाये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के जवाब के बाद उभरे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार इस आश्य का कानून बनाये जाने के प्रति गंभीर है। भ्रष्टाचार सही में हर व्यवस्था के लिये एक बहुत बड़ी चुनौती रहता है। हर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरैन्स के दावे करती है। हिमाचल प्रदेश में स्व. डॉ. परमार के कार्यकाल में स्व. हरि सिंह और स्व. ठाकुर कर्म सिंह के बीच उभरा विवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ पहला आरोप पत्र कहा जा सकता है। डॉ. परमार के ही कार्यकाल में खिड़की सकैण्डल चर्चा में आया। इस पर स्व. सत्य देव बुशहरी की लघु पुस्तिका हिमाचल पर – मार सामने आयी यह दूसरा आरोप पत्र था। इसके बाद शान्ता कुमार और स्व. वीरभद्र सिंह, प्रो. प्रेम कुमार धूमल, जयराम और सुक्खू सरकार तक विपक्ष द्वारा सत्ता रूढ़ सरकारों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने का चलन रहा है। राष्ट्रपति तक यह आरोप पत्र सौंपे गये हैं। मेजर विजय सिहं मनकोटिया ने एक ऑडियो सीडी जारी की थी 2017 में एक वीडियो आरोप पत्र जारी हुआ था। कांग्रेस के सारे विधायकों से जवाब मांगा गया था। हिमाचल ऑन सेल के आरोप लगे हैं। इन आरोपों पर तीन बार जांच आयोग बैठे हैं। लेकिन किसी का कोई ठोस परिणाम निकला हो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। सरकारी जमीन पर होटल बनाकर मामला सामने आने के बाद उस जमीन का तबादला प्राइवेट जमीन के साथ विशेष परिस्थितियों में अनुमोदित हो गया। बिजली बोर्ड से जल विद्युत परियोजना लेकर प्राइवेट पार्टी को दे दी गयी। समझौता हुआ कि विद्युत बोर्ड का निवेश 16% ब्याज के साथ लौटा दिया जायेगा। लेकिन जब यह राशि 92 करोड़ हो गयी तो इस बटे खाते में डाल दिया गया।

31 अक्तूबर 1997 को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रिवॉर्ड स्कीम अधिसूचित हुई स्कीम में कहा गया की शिकायत मिलने के तीस दिन के भीतर प्रारंभिक जांच करके अगर मामला बनता होगा तो नियमित जांच की जायेगी। शिकायतकर्ता को सरकार को होने वाले लाभ का 25% दिया जायेगा। 10% तो प्रारंभिक जांच पर ही दे दिया जायेगा। स्कीम के तहत 21 नवम्बर 1997 को ही शिकायत दर्ज करवायी गयी। लेकिन इस पर कभी कोई कारवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता को प्रताड़ित किया जाता रहा है। यह मामला किसी संद्धर्भ में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सितम्बर 2018 में दिये फैसले में कहा की लाभार्थियों को मिले लाभों को 12% ब्याज के साथ वसूल किया जाये। लेकिन इस पर आज तक पूरा अमल नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला साथ लगाकर सरकार को प्रतिवेदन 2018 में ही दे दिया जिसका आज तक जवाब नहीं आया है। अभी कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान एक आरोप पत्र जारी किया था जिस पर दो वर्ष में कोई कारवाई सामने नहीं आयी है। अभी मुख्यमंत्री ने जिस मुद्दे की चर्चा पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लाने की बात की है वह मुद्दा स्वयं एक जांच मांगता है। नादौन के राजा नादौन के पास लैण्ड सीलिंग के बाद केवल तीन सौ कनाल जमीन बची थी। राजस्व रिकॉर्ड में इसके अन्दराज में ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान दर्ज है जिसका अर्थ है कि इस जमीन की मालिक सरकार है। राजा नादौन की एक लाख कनाल से ज्यादा जमीन सरकार को चली गयी थी। इस संबंध में उस समय के अदालती फैसले पूरी तरह स्पष्ट हैं। ऐसे में सीलिंग के बाद राजा नादौन द्वारा बेची गयी हर जमीन जांच के दायरे में आती है। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में देश के सारे मुख्य सचिवों को ऐसी जमीनों की सुरक्षा के निर्देश दे रखे हैं। जिनकी अनुपालन हिमाचल में नहीं हुई है। इसलिये इसकी जांच किया जाना आवश्यक हो जाता है।

भ्रष्टाचार पर प्रदेश की इस वस्तुस्थिति के परिदृश्य में यह उम्मीद करना कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून ला पायेगी बेमानी लगता है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई उच्च न्यायालय के दरवाजे पर इसके लिये दस्तक दे दे। संभव है कि इस समय जिस पीढ़ी के लोग विधानसभा में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें प्रदेश में हुये भूमि सुधारों की पूरी जानकारी ही न हो। लैण्ड सीलिंग के संद्धर्भ में जमीन की पूरी परिभाषा की ही जानकारी न हो। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर कानून लाने से पहले ऊपर चर्चित किये गये मामलों की सही जानकारी जुटाकर इसकी ही जांच करवा पाये तो यह उनका एक बड़ा योगदान माना जायेगा।

राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिये हुये संशोधन से एक्ट की प्रासंगिकता पर उठे सवाल

शिमला/शैल। विधानसभा में सरकार ने अंतत: राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिये लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन करके जमीन ट्रांसफर करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने अपने भोटा स्थित चैरिटेबल अस्पताल की 30 एकड़ जमीन को अपनी सहयोगी संस्था महाराज जगत मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर किये जाने का आवेदन किया था। ट्रांसफर का कारण अस्पताल द्वारा हर वर्ष 2.50 करोड़ का जीएसटी दिया जाना बताया था। जबकि अस्पताल नि:शुल्क सेवा प्रदान कर रहा है। यह जमीन ट्रांसफर न हो पाने की स्थिति में इस अस्पताल को ही बन्द कर दिये जाने की विवशता जाहिर की थी। इस पर हमीरपुर और कुछ अन्य स्थानों पर लोगों ने सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करते हुये इस ट्रांसफर के लिये दबाव भी बनाया था। इस दबाव के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार इसके लिये लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद इस आश्य का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था। लेकिन मंत्रिमंडल में उस समय इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। उस समय यह सामने आया था कि 2.50 करोड़ का जीएसटी बचाने के लिये इस तरह लैण्ड ट्रांसफर की अनुमति देना अवैध होगा। लेकिन अब इस एतराज को नजर अन्दाज करते हुये इस संशोधन को पारित कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद यह आशंकाएं उभरी है कि इससे लैण्ड सीलिंग एक्ट की मूल भावना को ही ठेस पहुंचेगी।

हिमाचल में किसी भी गैर कृषक को जमीन खरीदने के लिये एक्ट की धारा 118 के तहत सरकार से पूर्व अनुमति लेने की शर्त है। इसमें व्यक्ति अपने आवास और व्यवसाय के लिये जमीन खरीद सकता है। इस खरीद की सीमाएं तय हैं। लेकिन किसी भी पहले से निर्मित भवन को खरीदने के लिए धारा 118 के तहत अनुमति लेने की शर्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह अनुमति लेकर दो वर्ष के भीतर यह निर्माण पूरा नहीं कर पाता है तो उसे एक और वर्ष तक सरकार निर्माण पूरा करने की अनुमति देती है। यदि इस अवधि में भी यह निर्माण पूरा न हो तो ऐसी जमीन पर सरकार कब्जा कर लेती है। सोलन के एक आई ए एस अधिकारी के साथ ऐसा हो भी चुका है। लेकिन प्रदेश में ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में एक से अधिक स्थानों पर अपने या परिजनों के नाम पर बीघों में जमीन खरीद रखी है। जबकि आवास के लिये तो 180 वर्ग गज जमीन की ही आवश्यकता का मानक रखा गया है। धारा 118 में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि एक व्यक्ति कितनी ऐसी अनुमति आवास के नाम पर ले सकता है। इस समय भी कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने शिमला और उसके आसपास ही 180 वर्ग गज से अधिक जमीने खरीद रखी हैं।

राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पास प्रदेश में 6000 बीघा से अधिक जमीन है। इस संस्था को कृषक का दर्जा भी हासिल है। अब जी एस टी बचाने के लिये लैण्ड ट्रांसफर की सुविधा भी मिल गयी। धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं को लैण्ड सीलिंग के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस समय प्रदेश में स्थित निजी विश्वविद्यालय के पास लैण्ड सीलिंग से अधिक जमीन है। सारी जमीनों का उपयोग यह विश्वविद्यालय अभी तक नहीं कर पाये हैं। लेकिन सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। जल विद्युत परियोजनाओं और सीमेंट उद्योगों को भी एक्ट में छूट हासिल है। जबकि 1998 – 99 में सीमेंट उद्योग को लैण्ड सीलिंग के दायरे में लाने के लिये विधि विभाग की स्पष्ट राय है जिस पर अमल नहीं हो सका है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब एक्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि मकान बनाने के लिये कितनी बार धारा 118 में अनुमति ली जा सकती है। जब शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं को सीलिंग के दायरे से बाहर कर दिया गया है और अब जीएसटी बचाने के लिये लैण्ड ट्रांसफर का भी अधिकार मिल गया है तब धारा 118 का औचित्य ही क्या रह जाता है। जो लोग कई पीढियों से प्रदेश में रह रहे हैं लेकिन संयोगवश प्रदेश के कृषक नहीं हैं उन्हें क्या धारा 118 के दायरे से बाहर नहीं कर दिया जाना चाहिये। जब सरकार लैण्ड सीलिंग में इतने संशोधन कर चुकी है तब इस एक्ट का औचित्य ही क्या बच जाता है। जब राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पास किन्नौर में जमीन हो सकती है तो दूसरे धार्मिक संस्थाओं को कैसे और कितनी देर इससे बाहर रख सकते हैं। ऐसे में धारा 118 के औचित्य पर अब नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

कांगड़ा के सांसद

.....पृष्ठ 1 का शेष

में से 9 में बिस्तरों की 8 से 71 प्रतिशत तक कमी पायी गयी। कैग के इन आंकड़ों पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कांगड़ा के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुये सरकार के प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प पर गंभीर सवाल उठाये हैं। लेकिन डॉ. भारद्वाज यह सवाल उठाते हुये भूल गये की कैग रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022 – 23 की है और कांग्रेस की सुक्खू सरकार दिसम्बर 2022 में बनी थी। इसलिये यह रिपोर्ट कांग्रेस की बजाये पूर्व की भाजपा सरकार को ही कटघरे में खड़ा करती है। डॉ. भारद्वाज के ब्यान और कैग रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि स्वास्थ्य संस्थानों की यह हालत सुक्खू सरकार के वित्त वर्ष के अंतिम तीन माह में हुई है। शायद कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर हमला बोलने की नीयत से वह पूर्व भाजपा सरकार को ही लताड़ लगा गये। वर्ष 2023 – 24 की जब रिपोर्ट आयेगी तब उसमें पता चलेगा कि सुक्खू सरकार इस स्थिति को कितना बेहतर बना पायी है।